



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, , 2003 ई0
शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग
संख्या 1348/कृषि/2003/5C41203
देहरादून, 15 अक्टूबर 2003

अधिसूचना संशोधन

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, असाधारण, विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) देहरादून, मंगलवार, 13 फरवरी, 2001 ई0 माघ 24, 1922 शक सम्वत् उत्तरांचल शासन वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, कृषि अनुभाग, संख्या 331/कृषि/2000-2001 देहरादून, 13 फरवरी, 2001 से जारी अधिसूचना को महामहिम राज्यपाल भवोदय निमानुसार संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1955) की धारा 3 के अधीन बनाये गये बीज नियंत्रण आदेश 1983 के नियम 12 के अधीन शवित का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित कृषि विभाग के पदाधिकारियों को जो बीज नियंत्रण आदेश 1968 के नियम-22 में उल्लिखित अहताये रखते हैं, को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर बीज नियुक्त करते हैं।

(36) १६

1.	मुख्य भूग्राम आवेदकारी	जिला मुख्यालय	संबंधित जनपद
2.	सहायक निदेशक (प्रदर्शन)	जिला मुख्यालय	संबंधित जनपद
3.	सहायक निदेशक (कृषि प्रसार)	जिला मुख्यालय	संबंधित जनपद
4.	अपर जिला कृषि अधिकारी (जैविक)	जिला मुख्यालय	संबंधित जनपद
5.	अपर कृषि प्रसार अधिकारी	जिला मुख्यालय	संबंधित जनपद
6.	संयुक्त कृषि निदेशक	मंडल मुख्यालय	संबंधित मंडल
7.	सहायक निदेशक	मंडल मुख्यालय	संबंधित मंडल
8.	प्राविधिक सहायक वर्ग-1	मंडल मुख्यालय	संबंधित मंडल

आज्ञा से

(आमप्रकाश)

सचिव कृषि

तंख्या ४३४८/कृषि/२००३/५८५१)०३ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. कृषि सलाहकार, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, कृषि, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. उनस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. उनस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
6. कृषि निदेशक/अपर कृषि निदेशक, उत्तरांचल।
7. उनस्त मुख्य कृषि अधिकारी, राजकीय गणराज्य में प्रकारि
8. निदेशक, राजकीय गुदणालय नं. नं. को राजकीय गणराज्य में प्रकारि

100 प्र०५ उपलब्ध कराने हेतु।

आज्ञा से

(डा ००१ ०६८ ०७०८०५)
सचिव।